राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 21.12.2025

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 358/2025
जीसीएमएस संख्या: 2025/518
दायर दिनांक: 15.10.2025

1. रसाल कंवर पुत्री बन्नेसिंह पत्नी सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी न्यामां हाल निवासी ग्राम खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

...............प्रार्थीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री राजकुमार चायल।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़,जिला-चूरू

–:निर्णय:–

निर्णय दिनांक: 21.12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या नया 247 के खसरा नम्बर 128 तादादी 1.9979 है0, खसरा नम्बर 612 तादादी 4.1728, ख0नं0 736 तादादी 0.6196 है0 एवं 769 तादादी 7.3720 है0, भूमि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थिति है। प्रार्थीनी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में रसाल पुत्री बन्नेसिंह दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थीनी का सही नाम रसाल कंवर पुत्री बन्नेसिंह है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व राशन कार्ड आदि में प्रार्थीनी का सही नाम रसाल कंवर पुत्री बन्नेसिंह ही अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थीनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही न्यामां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपतहसीलदार सालासर रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अन्य पहचान दस्तोवजों में प्रार्थीनी का सही नाम रसाल कंवर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अंकित है जबकि जमाबन्दी में रसाल अंकित है जो अशुद्ध है। प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रसाल की बजाय रसाल कंवर दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट उपतहसीलदार सालासर का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीनी का नाम रसाल कंवर अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–ःआदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही न्यामां तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या नया 247 के खसरा नम्बर 128 तादादी 1.9979 है0, खसरा नम्बर 612 तादादी 4.1728, ख0नं0 736 तादादी 0.6196 है0 एवं 769 तादादी 7.3720 है0 में दर्ज खातेदार का नाम रसाल के स्थान पर रसाल कंवर दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्टी एवं रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू